AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

WPS क्रमांक 2706 वर्ष 2021

श्रीमती नीलम देवांगन पति श्री रूपेंद्र देवांगन उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी सेक्टर क्रमांक 17, क्वार्टर क्रमांक ई–1–14, कंस्ट्रक्शन हाउस के पास, नया रायपुर पुलिस थाना एवं पोस्ट राखी अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

----- **याचिकाकर्ता**

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, पुलिस थाना एवं पोस्ट राखी, अटल नगर नवा रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. निदेशक कार्यालय निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, पुलिस थाना और पोस्ट राखी, अटल नगर नवा रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
3. कलेक्टर/जांच अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, धमतरी, जिला धमतरी छत्तीसगढ़
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रस्तुतीकरण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, धमतरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़

---- **उत्तरवादीगण**

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री अभिषेक पांडे जी के साथ सुश्री दीपिका सन्नत, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	सुश्री आकांशा जैन, उप. जीए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सैम कोशी

बोर्ड पर आदेश

21.06.2021

1. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता की शिकायत याचिकाकर्ता के विरुद्ध लंबे समय से लंबित विभागीय जांच तक ही सीमित है।

2. मामले में तथ्य संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता उत्तरवादीगण के अधीन जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रही थी। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में याचिकाकर्ता को दिनांक 23.09.2017 आरोप पत्र जारी किया गया तथा तत्पश्चात दिनांक 22.07.2017 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की सेवा निलम्बित कर दी गई। बाद में संशोधित आरोप पत्र जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ और आरोप जोड़े गए तथा इस बीच उत्तरवादीगण ने विभागीय जांच को करने के लिये एवं प्रस्तुत करने के लिये एक जांच अधिकारी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। आरोप पत्र जारी किए जाने के अलावा लगभग चार वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन विभागीय जांच में कोई और महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है। विभागीय जांच पूरी किए बिना काफी समय बीत जाने के मद्देनजर वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने जो सीमित प्रार्थना की है, वह उत्तरवादीगण को निर्धारित अवधि के भीतर यथाशीघ्र विभागीय जांच पूरी करने के लिए उचित निर्देश देने की है।

3. दूसरी ओर याचिका का विरोध करने वाले राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि जब विभागीय जांच प्रारंभ की गयी थी तब याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, यह महसूस करते हुए कि विभागीय जांच जल्द से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जल्द पूरी नहीं हो रही है, उत्तरवादीगण ने स्वयं ही निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है और याचिकाकर्ता को सेवा में वापस ले लिया गया है और ऐसे में याचिकाकर्ता को विभागीय जांच के लंबित रहने पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

4. दोनों पक्षों की तर्क सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए तथ्य स्वीकार किए गए प्रतीत होते हैं और विवादित नहीं हैं। किसी भी विभागीय जांच को पूर्ण करने के लिए चार साल का समय काफी लंबा समय होता है। इसके अलावा, इस मामले में अगर याचिकाकर्ता के तर्क पर विश्वास किया जाए तो देरी किसी प्रशासनिक कारण या किसी व्यवहारिक कठिनाई के कारण नहीं हुई है, बल्कि उत्तरवादीगण, खासकर जांच अधिकारी की ओर से जांच को आगे न बढ़ाने की सरासर निष्क्रियता के कारण हुई है। यह समझा जा सकता है कि यदि विभागीय जांच प्रभावी ढंग से की जाती है और उसे पूर्ण नहीं किया जा सका है तो शायद उत्तरवादीगण को उसे पूर्ण करने में समय लेने के लिए उचित कारण हो सकते हैं। हालांकि, यदि जांच में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है, तो विभागीय जांच के समापन में देरी कई बार किसी कर्मचारी के करियर की संभावना के लिए हानिकारक हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इस समय **प्रेमनाथ बाली बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य, (2015) 16 एससीसी 415** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय तक विभागीय जांच के मुद्दे से निपटते हुए कंडिका 26 से 28 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है:–

"26. इस न्यायालय ने बार–बार इस बात पर जोर दिया है कि नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि दोषी कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच प्राथमिकता के आधार पर कम

से कम समय में पूरी हो। ऐसे मामलों में जहां दोषी को ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निलंबित कर दिया जाता है, तो नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो जाता है कि दोषी कर्मचारी के अधिकारों के प्रति किसी भी असुविधा, हानि और पूर्वाग्रह से बचने के लिए जांच कम से कम समय में पूरी हो।

27. अनुभव के आधार पर, हम अक्सर देखते हैं कि जांच पूरी होने के बाद, उसमें शामिल मुद्दा समाप्त नहीं होता है क्योंकि अगर जांच कार्यवाही के निष्कर्ष दोषी कर्मचारी के खिलाफ जाते हैं, तो वह हमेशा अपनी शिकायत को व्यक्त करने के लिए न्यायालय में मुद्दे को आगे बढ़ाता है, जिससे अंतिम निष्कर्ष निकलने में समय लगता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह विचार है कि प्रत्येक नियोक्ता (चाहे वह सरकारी हो या निजी) को दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही को उचित समय के भीतर समाप्त करने का ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, ऐसी कार्यवाही को प्राथमिकता देते हुए और जहां तक संभव हो इसे बाहरी सीमा के रूप में छह महीने के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। जहां नियोक्ता के लिए कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण समय सीमा के भीतर निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है, तो कारण और जांच की प्रकृति के आधार पर उचित रूप से विस्तारित अवधि के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन एक वर्ष से अधिक नहीं।"

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखते हुए तथा आरोप पत्र जारी करने की तिथि के पश्चात चार वर्ष की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह राय है कि रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है तथा उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से शुरू होने वाली 6 महीने की अवधि के भीतर विभागीय जांच को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास करें, अन्यथा उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रेमनाथ बाली (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में उचित कदम उठाना सुनिश्चित करें, ताकि यदि वे उचित कारणों से विभागीय जांच को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं तो कार्यवाही को रोक दिया जाए तथा यदि प्रशासनिक पक्ष पर कोई वास्तविक, ठोस कारण उपलब्ध हैं तो भी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए कि विभागीय जांच यथाशीघ्र पूरी की जाए।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(पी. सैम कोशी)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।